



प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2- निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-04 फरवरी, 2026

विषय:- "थनैला रोग नियंत्रण एवं निदान योजना (रा.यो.)" की गाइडलाइन्स।

महोदय,

अवगत हैं कि दुधारु पशुओं में होने वाले रोगों में प्रमुख थनैला रोग (Mastitis) है। थनैला रोग से प्रभावित पशुओं के थनों में दर्द, सूजन हो जाती है, शारीरिक तापमान भी बढ़ जाता है। लक्षण प्रकट होते ही दूध की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पशु खाना-पीना छोड़ देता है एवं अरुचि से ग्रसित हो जाता है। यह बीमारी सामान्यतः गाय, भैंस एवं बकरी समेत लगभग सभी मादा पशुओं में पायी जाती है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। थनैला बीमारी पशुओं में कई प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण से होती है। इसके अतिरिक्त चोट तथा मौसमी प्रतिकूलताओं के कारण भी थनैला हो जाता है। इस रोग का मुख्य कारण स्ट्रेप्टो कॉकस बैक्टीरिया होता है। शुरुआती दौर में एक थन में संक्रमण होता है, जो कि धीरे-धीरे अन्य थनों में फैल जाता है, जिससे दुधारु पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता कम या समाप्त हो जाती है। यह बीमारी दूध देने वाले पशुओं में होने के कारण पशुपालकों के लिए गम्भीर चिंता का विषय है। इस बीमारी से पूरे देश में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति होती है, जो अंततः पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दुधारु पशुओं के थनों में होने वाले संक्रमणों को कम करके अथवा समाप्त/उन्मूलन कर पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाकर आर्थिक रूप से उन्नत किया जा सकता है तथा पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को समाप्त होने से बचाया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु थनैला रोग नियंत्रण एवं निदान योजना (रा.यो.) का प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी गाइडलाइन्स निम्नवत् है:-

थनैला रोग नियंत्रण एवं निदान योजना (रा.यो.)

1. योजना की पृष्ठभूमि :-

प्रदेश की विशाल पशुधन सम्पदा को सुरक्षित संवर्धित तथा रोगमुक्त रखने में पशुपालन विभाग सतत रूप से प्रत्यनशील है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसाय जैसे पशुपालन/मत्स्य पालन इत्यादि पर आधारित है। कृषि अर्थ-व्यवस्था में पशुपालन एवं पशुधन उत्पादों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

का महत्वपूर्ण योगदान है। पशुधन व्यवसाय में पशुओं का स्वास्थ्य पशुपालन का आधार है। प्रदेश में गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को तीव्र गति से किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में कृषकों की आय को दुगुनी किये जाने के साथ-साथ प्रवेश को वन ट्रिलियन डालर की आर्थिकी के रूप में विकसित किये जाने की संकल्पना भी समाहित है।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है ताकि प्रदेश में जनशक्ति के पलायन को रोक कर प्रदेश के भीतर ही रोजगार का सृजन कराया जा सके। उत्तर प्रदेश में 190.20 लाख गोवंश एवं 330.27 लाख महिषवंशीय कुल 520.37 लाख पशुधन संख्या के साथ प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन प्रदेश के पशुपालकों की आय का एक प्रमुख स्रोत है।

दुधारू पशुओं में होने वाले रोगों में प्रमुख थनैला रोग (Mastitis) है। थनैला रोग से प्रभावित पशुओं के थनों में दर्द, सूजन हो जाती है, शारीरिक तापमान भी बढ़ जाता है। लक्षण प्रकट होते ही दूध की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पशु खाना-पीना छोड़ देता है एवं अरुचि से ग्रसित हो जाता है। यह बीमारी सामान्यतः गाय, भैंस एवं बकरी समेत लगभग सभी मादा पशुओं में पायी जाती है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। थनैला बीमारी पशुओं में कई प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण से होती है। इसके अतिरिक्त चोट तथा मौसमी प्रतिकूलताओं के कारण भी थनैला हो जाता है। इस रोग का मुख्य कारण स्ट्रेप्टो कॉकस बैक्टीरिया होता है। शुरुआती दौर में एक थन में संक्रमण होता है, जो कि धीरे-धीरे अन्य थनों में फैल जाता है, जिससे दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता कम या समाप्त हो जाती है। यह बीमारी दूध देने वाले पशुओं में होने के कारण पशुपालकों के लिए गम्भीर चिंता का विषय है। पशुधन विकास के साथ श्वेत क्रान्ति की पूर्ण सफलता में अकेले यह बीमारी सबसे बड़ी बाधक बनी हुई है। इस बीमारी से पूरे देश में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति होती है, जो अंततः पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दुधारू पशुओं के थनों में होने वाले संक्रमणों को कम करके अथवा समाप्त/उन्मूलन कर पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाकर आर्थिक रूप से उन्नत किया जा सकता है तथा पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को समाप्त होने से बचाया जा सकता है।

2- योजना का उद्देश्य :-

योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं :-

- प्रदेश में पशुपालकों के पशुओं को उन्नत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना।
- थनैला रोग पर नियंत्रण स्थापित करना।
- पशुधन के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना।
- ग्राम स्तर पर पशुपालन के माध्यम से स्थिर रोजगार का सृजन करना।
- दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाना।
- पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को प्रभावित होने से बचाया जाना, जिससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा।
- अच्छी नस्ल की गायों, भैंसों, बकरियों आदि पशुओं की उत्पादकता को बनाये रखा जा सकेगा।
- पशुपालकों में पशुपालन की भावना को विकसित किये जाने में सहायक होगी।
- प्रदेश सरकार पशुधन सुरक्षा की नीति को प्रतिपादित करने में यह योजना सहायक होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- योजना के क्रियान्वयन के सापेक्ष पशु उत्पाद हेतु लागत में कमी होने एवं पशु उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होने के कारण योजना पशुपालकों के आर्थिक उन्नयन में अभिवृद्धि करने के साथ-साथ पशुपालकों की आय दुगुनी करने में सहायक सिद्ध होगी।
- पशुओं में होने वाले इस रोग का मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।
- रोग से पशु नस्ल हानि को रोका जाना।
- दूध को सम्पूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि दूध में प्रोटीन, वसा. कार्बोहाइड्रेट, खनिज (कैल्शियम, फोस्फोरस एवं फास्फोरस) पाया जाता है। दूध की प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता होने से मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

3- योजना का क्रियान्वयन/अनुश्रवण :-

3(1) प्रशासनिक

(अ) निदेशालय स्तर :-

निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक (रोग नियंत्रण) कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं उप निदेशक, धनैला-2 को उप नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे। निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह मांग के सापेक्ष कार्यक्रम की अद्यावधिक प्रगति प्रशासनिक विभाग एवं समन्वय विभाग, उ०प्र० शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रगति (भौतिक एवं वित्तीय) की सभी सूचनायें विभागीय वेब-साइट पर समय-समय पर अद्यतन करते हुये उपलब्ध करायी जायेंगी।

(ब) मण्डल स्तर :-

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर पदस्थ अपर निदेशक, ग्रेड-II कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मण्डल स्तर पर नियंत्रक अधिकारी होंगे। अपर निदेशक, ग्रेड-II मण्डल के मण्डलीय जनपदों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समक्ष प्रगति की पाक्षिक समीक्षा करेंगे। अपर निदेशक, ग्रेड-II प्रत्येक 15 दिन में पाक्षिक रिपोर्ट के रूप में प्रगति मण्डलायुक्त एवं मासिक प्रगति निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

(स) जनपद स्तर :-

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विकास खण्ड (विकास खण्ड मुख्यालय) एवं विकास भवन (जनपद मुख्यालय) पर कार्यक्रम की रूपरेखा, योजना के प्रारम्भ की तिथि एवं आवश्यक जानकारीयों अंकित करते हुये डिसप्ले बोर्ड लगाया जायेगा।

3(2) कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु अनुदेश :-

योजना का संचालन पशु चिकित्सालय, पशु सेवा केन्द्रों, पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक, सचल वाहन एवं मोबाइल वेटनरी यूनिट के माध्यम से कराया जायेगा। इन संस्थाओं पर कार्यरत कार्मिकों से कार्यों का सम्पादन कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(अ) प्रचार प्रसार व्यवस्था :-

पशुपालकों में थनैला रोग की जानकारी देकर रोग की रोकथाम की जा सकती है। इसके लिए पैम्फलेट एवं बैनर के माध्यम से बीमारी की जानकारी दी जायेगी। प्रति पशु चिकित्सालय पर 500 पैम्फलेट, प्रति पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक पर 500 पैम्फलेट एवं प्रति पशु सेवा केन्द्र पर 200 पैम्फलेट दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रति पशु चिकित्सालय 01 बैनर, प्रति पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक पर 02 बैनर एवं प्रति पशु सेवा केन्द्र पर 01 बैनर तथा प्रति मोबाइल वेटनरी यूनिट पर 01 बैनर दिये जायेंगे।

पैम्फलेट का वितरण पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक एवं पशु सेवा केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही प्रचार-प्रसार सामग्री सचल वाहनों एवं मोबाइल वेटनरी यूनिट के माध्यम से भी वितरित की जायेगी। पैम्फलेट में रोग की जानकारी, रोग के लक्षण, रोग से बचाव के उपाय आदि के बारे में जानकारी दी जायेगी तथा साफ-सफाई के बारे में जानकारी दी जायेगी।

रोग सम्बन्धी जानकारी यथा रोग के लक्षण, रोग से बचाव के उपाय आदि की जानकारी विभाग अन्तर्गत पं० दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला/शिविर (न्याय पंचायत स्तर/मण्डल स्तर) के माध्यम से दी जायेगी। रोग की पुष्टि करने के लिए कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस किट के प्रयोग की जानकारी दी जायेगी।

(ब) पशुओं में रोग के प्रसारित होने के उपरान्त चिकित्सा हेतु औषधियों/उपकरण सामग्री आदि की व्यवस्था :-

(i) योजना में दुधारू पशुओं की चिकित्सा एवं उपचार हेतु 39 औषधि तथा रसायन मद में औषधियों आदि के सम्बन्ध में निम्न वर्गीकरण के आधार पर औषधियों का चयन किया जायेगा-

Sr. No.	Class of Medicines	Expenditure of the Total Budget class wise
1	Antibiotics for intrmammary infusion use (Dry Cow Therapy & intra mammary antibiotics)	35% of the total budget for the scheme under Manak Mad -39
2	Anti-Allergic/Anti-Histaminics/Corticosteroids/Haemostatics/Anti-Inflammatory/Analgesic/Antipyretic	25% of the total budget for the scheme under Manak Mad-39
3	Antibiotics for prevention of infection	15% of the total budget for the scheme under Manak Mad-39
4	Metabolic Restoratives & Mineral Supplements (Oral Liquids/Powders/Tablets/bolus/injections/Infusions and multi-vitamin (inj, oral, powder, tablet & oral)	15% of the total budget for the scheme under Manak Mad-39
5	Disinfectants/Local Antiseptics (lotion, cream, spray), Anti Spasmodic	10% of the total budget for the scheme under Manak Mad-39

(ii) उपकरण/सामग्री आदि की व्यवस्था :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

योजना अन्तर्गत संक्रमित दुधारू पशुओं की चिकित्सा एवं उपचार में उपयोगी सामग्रियों जैसे हैण्ड ग्लव्स (एक्जामिनेशन/लैटेक्स), निडिल/सिरिज, टीट किट, आई०वी० सेट, काटन, बैण्डेज, एप्रन/डाक्टर कोट, हैण्डवाश एवं अल्कोहल स्वेब आदि का प्रयोग किया जायेगा।

संक्रमित पशुओं की चिकित्सा राजकीय पशु चिकित्सालय, पशु सेवा केन्द्र, पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक, सचल वाहनों, मोबाइल वेटनरी यूनिट एवं विकास खण्ड स्तर तथा मण्डल स्तर पर आयोजित होने वाले मेलों/शिविरों के माध्यम से की जायेगी।

(iii) कार्यालय उपयोगार्थ कम्प्यूटर एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी आदि की व्यवस्था :-

कार्यक्रम अन्तर्गत योजना के अनुश्रवण, योजना की समीक्षा, सूचनाओं के आदान-प्रदान आदि के लिए प्रति जनपद कम्प्यूटर की व्यवस्था की जायेगी तथा कम्प्यूटर के संचालन अन्तर्गत तत्सम्बन्धी स्टेशनरी आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

पू०सं०-17/2026/64(1)/सैंतीस-2-2026-1(8)/2025, तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।